

आम सूचना

यह आम सूचना जन साधारण के लिए स्त्रीच्युएल रीजेनेरेशन मूवमेन्ट फाण्डेशन आफ इण्डिया (एस0 आर0 एम0 फाउण्डेशन आफ इण्डिया) की भूमि स्थित ग्राम-मंगेली, पटवारी हल्का-30, जबलपुर म0प्र0 तथा अमरकंटक, जिला-शहडोल (म0प्र0) में स्थित है के संबंध में प्रकाशित की जा रही है।

इस भूमि को जी0 राम चन्द्र मोहन, पुत्र एन0 जी0 पिल्लई निवासी-124, अयप्पानगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) तथा रियाजुल लतीफ पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी-समता कॉलोनी, मगर पारा, चौक, बिलासपुर, (छत्तीसगढ़) के द्वारा अवैध पावर आफ एटार्नी के माध्यम से अवैध रूप से विक्रय किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इन व्यक्तियों का हमारी संस्था से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उपरोक्त भूमि को विक्रय किये जाने का निर्णय भी हमारी संस्था द्वारा नहीं लिया गया है। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा कम्पनी द्वारा हमारे संस्था की उपरोक्त भूमि क्रय की जाती है तो वह व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनी स्वयं इस कृत्य के लिए जिम्मेदार होगा।

यह उल्लेखनीय है कि जी0 रामचन्द्र मोहन के द्वारा पूर्व में भी हमारे संस्था की भूमि को अवैध रूप से बेचने का प्रयास किया गया था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् यह व्यक्ति कई माह तक कारावास में भी रहा है।

अतः यह आम सूचना जनसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है।

संजय चौबे
अधिवक्ता
जबलपुर उच्च न्यायालय
जबलपुर (म0प्र0)
मो0-94 258 61 927
70 004 37 517

अजय प्रकाश श्रीवास्तव
महासचिव
पंजीकृत कार्यालय-121, प्रथम तल,
डी.एल.एफ गलेरिया,
मयूर विहार, फेस-1,
दिल्ली-110 091
मो0- 98 186 34 717